

न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

एल0सी0 अपील वाद सं0-03/2013-14

शत्रुघन प्रसाद बनाम सावित्री देवी

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|-------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 14-1-19 | <p style="text-align: center;">शुद्धि आदेश</p> <p>विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक-14.12.2018 को दाखिल आवेदन का अवलोकन किया।</p> <p>आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उक्त वाद में दिनांक-01.03.2018 को पारित आदेश में 03 (तीन) कठ्ठा 10(दस) धुर के स्थान पर टंकण भूलवश 03 (तीन) धूर 10 (दस) कठ्ठा टंकित हो गया है जिसे संशोधन करने के लिए अनुरोध किया गया है।</p> <p>विपक्षी के आवेदन एवं अभिलेख का अवलोकन किया। विपक्षी के आवेदन पर विचारोपरान्त सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-152 एवं 153 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में एल0सी0 अपील वाद सं0-03/2013-14 में दिनांक-01.03.2018 को पारित आदेश में अंकित 03(तीन) धूर 10 (दस) कठ्ठा को संशोधित करते हुए 03 (तीन) कठ्ठा 10(दस) धुर अर्थात् 10.9375 डी0 किया जाता है। शेष आदेश का अंश पूर्ववत् रहेगा। सभी संबंधित पक्षकारों को सूचित कर दें।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">14/1/19</p> <p>समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।</p> | <p style="text-align: center;">14/1/19</p> <p>समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।</p> |